हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

प्रैस नोट

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा सभी खुदरा पुस्तक विक्रेताओं का ऑन-लाईन पंजीकरण दिनांक 02-02-17 से दिनांक 20-02-17 तक करने हेतु बोर्ड की वैब साईट www.bseh.org.in पर जाकर बोर्ड द्वारा जारी प्रफोर्मा ध्यानपूर्वक पढकर अपना पंजीकरण करना होगा। इसके लिए बोर्ड द्वारा 2015 एवं 2016 हेतु नियुक्त होलसेल डिस्ट्रिब्यूटर तथा वर्ष 2015 से पूर्व के सभी पुराने खुदरा पुस्तक विक्रेताओं को भी अपना पंजीकरण करवाना होगा। आप द्वारा पंजीकरण करने के लिए नियमानुसार 5500 रूपये का भुगतान किया जाना है जिसमें 500 रूपये पंजीकरण शुल्क (नॉन-रिफण्ड) तथा 5000 रूपये धरोहर राशि के रूप में देय होगा। पंजीकरण करते समय वहीं पर कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के सभी पाठय पुस्तकों की टाईटलवाईज की सूची उपलब्ध होगी। जिसमें आप द्वारा कक्षावार पाठय पुस्तकों की संख्या वैब साईट पर शैक्षिक सत्र 2017-18 के लिए भरनी होगी। वर्तमान में बोर्ड द्वारा छपवाई गई पाठ्य पुस्तकें केवल ऑन-लाईन पंजीकरण करवाने वाले पुस्तक विक्रेताओं को ही जारी की जाएगीं। आप द्वारा 5500 रूपये का भुगतान Application पर Gateway Payment द्वारा सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम किया जाना है। कक्षा नौवीं से बारहवीं तक की पाठय पुस्तकों पर दिए जाने वाले कमीशन व ट्रासपोर्ट चार्जिज एवं दिशा-निर्देश बोर्ड की वैब साईट पर उपलब्ध है। बोर्ड द्वारा स्थापित छः क्षेत्रीय पाठय पुस्तक बिक्री सेवा केन्द्र क्रमशः अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, करनाल एवं रोहतक पर बिक्री हेतु पाठय पुस्तकें उपलब्ध है।

सचिव